ज्ञाप सं0- सी/जी0बी0-5707/16............/

बिहार सरकार

गृह विभाग

(विशेष शाखा)

सेवा में

महालेखाकार, (ले0 एवं ह0)
वीरचंद पटेल पथ, बिहार, पटना

पटना, दिनांक-...................................

विषयः- राज्य में चालू कब्रिस्तानों की घेराबंदी योजना अन्तर्गत योजना का क्रियान्वयन स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन के माध्यम से कराने के लिए, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन के कार्यप्रमंडल-2 पकड़ीदयाल (पूर्वी चम्पारण) को वित्तीय वर्ष 2016-17 में अतिरिक्त कुल ₹43,00,000.00 (रुपये तैतालिस लाख मात्र) के व्यय की स्वीकृति।

क्र0स0	स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन के कार्यप्रमंडलो के नाम	कार्यप्रमंडल मुख्यालय का नाम	वित्तीय वर्ष 2016-17 में अतिरिक्त आवंटित राशि (रु0 लाख में)
		3	4
1	2	पकड़ीदयाल (पूर्वी चम्पारण)	43.00
1	स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्यप्रमंडल-2		
	(कुल आवंटन - ₹43,00,000.00 (रुपये तैतालिस लाख मात्र)		

आदेशः- स्वीकृत।

2.योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने तथा कार्य की गुणवत्ता एवं प्रगति की समीक्षा करने का दायित्व संबंधित जिला पदाधिकारी का होगा। कार्यस्थल पर सुरक्षा एवं विधि व्यवस्था का संधारण जिला दण्डाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक संयुक्त रुप से करेंगे।

3. यह राशि वित्तीय वर्ष 2016-17 में मुख्य शीर्ष 4235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय-उपमुख्यशीर्ष-60 अन्य समाज सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम-लघुशीर्ष-051-निर्माण उपशीर्ष-0101 कब्रिस्तानों की घेराबंदी हेतु मांग सं0-22, प्राथमिक ईकाई संख्या-53-01 मुख्य निर्माण कार्य तथा राज्य योजना स्कीम-**HOM-5425** एवं विपत्र कोड संख्या-पी0-4235600510101 के अन्तर्गत विकलनीय होगी।

4. यह राशि वर्त्तमान वित्तीय वर्ष 2016-17 में उपबंधित योजना उद्व्यय के अन्तर्गत स्वीकृत की जा रही है।

5. इसके नियंत्री पदाधिकारी, प्रधान सचिव, गृह विभाग होंगे।

6. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन कार्यप्रमंडल के कार्यपालक अभियंता होंगे। वे राशि की निकासी हेतु वित्त विभाग के परिपत्र संख्या-4989, दिनांक 16.05.2013 का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

7. इस राशि की निकासी संबंधित जिला कोषागार/उप कोषागार से की जायेगी।

8. उक्त राशि की निकासी एवं व्ययन में वित्त विभाग के स्थायी अनुदेश सं0-2561, दिनांक 17.04.98 का अनुपालन किया जायेगा।

9. संबंधित कार्यपालक अभियंता आवंटित राशि से संबंधित व्यय विवरणी और उपयोगिता प्रमाण पत्र नियमित रुप से गृह विभाग को जिला पदाधिकारी के माध्यम से भेजना सुनिश्चित करेंगे।

10. संबंधित कार्यपालक अभियंता को निदेशित किया जाता है कि आवंटित राशि को CTMIS में ऑनलाईन कराते हुए उसकी निकासी सुनिश्चित करेंगे।

11. स्वीकृत राशि के विरुद्ध व्यय की गई राशि का लेखा सत्यापन महालेखाकार कार्यालय से कराते हुए ससमय विभाग को प्रतिवेदन भेजा जाना सुनिश्चित किया जाए।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/-
(जितेन्द्र कुमार)
सरकार के विशेष सचिव

Sec:c:ch:Drafts part 3

P.T.O. ...

ज्ञापांकः- .... पटना,दिनांक - ....

प्रतिलिपिः- महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

सरकार के विशेष सचिव

निबंधित फैक्स

ज्ञापांकः- .... पटना,दिनांक - ....

प्रतिलिपिः- जिला पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण/जिला कोषागार पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण/ कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन के कार्यप्रमंडल-2 पकड़ीदयाल (पूर्वी चम्पारण) को सूचनार्थ आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांकः- .... पटना,दिनांक - ....

प्रतिलिपिः- वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना को दो प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांकः- .... पटना,दिनांक - ....

प्रतिलिपिः- संयुक्त निदेशक, गृह विभाग(आरक्षी शाखा), बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांकः- 2251 पटना,दिनांक - 20.3.17

प्रतिलिपिः- आई0टी0 मैनेजर, गृह विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Jitendra 20.03.17

सरकार के विशेष सचिव

Sec:c:ch:Drafts part 3